

भाग V : संसद

Part V : The Parliament

अनुच्छेद 79 – 122

द्विभाषी अध्ययन प्रस्तुति · तथ्य-जाँच एवं सुधार सहित

Bilingual study presentation · with fact-check and corrections

1) सामान्य परिचय व संरचना (Background)

संसद → भाग 5 → अनुच्छेद 79 से 122

द्विसदनीय विधायिका

भारत (संसद)

ब्रिटेन (संसद)

अमेरिका (कांग्रेस)

राज्यसभा (80)

लोकसभा (81)

हाउस ऑफ लॉर्डस

हाउस ऑफ
कॉमन्स

सीनेट

हाउस ऑफ
रिप्रेजेंटेटिव्स

- उच्च सदन
- स्थाई सदन
- संघीय सदन
- राज्य परिषद
- द्वितीय सदन

- निम्न सदन
- अस्थायी सदन
- लोकप्रिय सदन
- जनता सदन
- प्रथम सदन

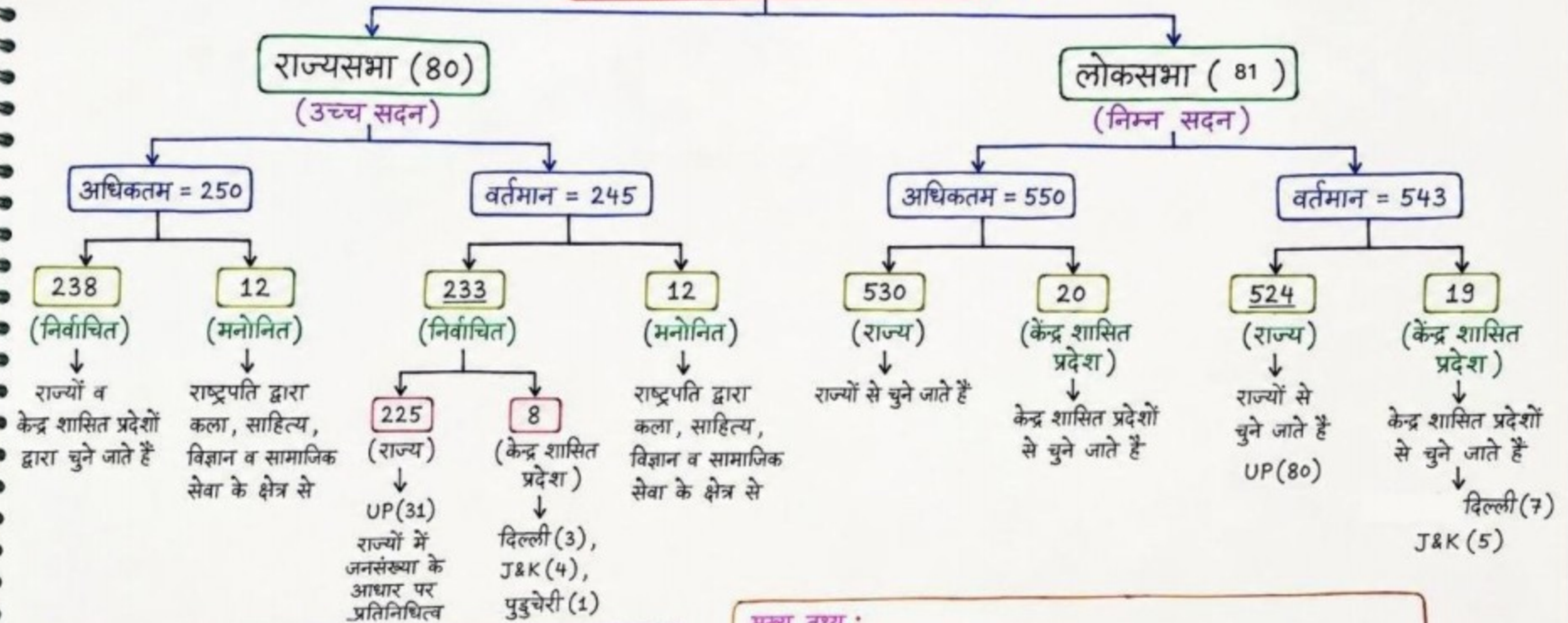
- उच्च सदन

- निम्न सदन

- उच्च सदन

- निम्न सदन

संसद की संरचना



- ★ भारत में आधार → जनसंख्या
- ★ अमेरिका में आधार → प्रत्येक राज्य से 2 सीटें
(USA में Senate में प्रत्येक राज्य को समान प्रतिनिधित्व)

मुख्य तथ्य :

- राज्यसभा स्थायी सदन है, इसे भंग नहीं किया जा सकता।
- लोकसभा की अवधि 5 वर्ष होती है, राष्ट्रपति द्वारा भंग की जा सकती है।
- दोनों सदनों की शक्तियाँ, संरचना व कार्य संविधान में निर्धारित हैं।



संसद : एक नज़र में

अनु. 79-122

Parliament at a glance

550

लोक सभा की अधिकतम सदस्य संख्या

Maximum strength of Lok Sabha

543

लोक सभा की वर्तमान सदस्य संख्या

Present strength of Lok Sabha

250

राज्य सभा की अधिकतम सदस्य संख्या

Maximum strength of Rajya Sabha

245

राज्य सभा की वर्तमान सदस्य संख्या

Present strength of Rajya Sabha

44

भाग V में संसद से जुड़े अनुच्छेद (79-122)

Articles on Parliament in Part V (79-122)

03

अब तक हुई संयुक्त बैठकें

Joint sittings held so far

01

सदनों का गठन एवं संरचना

Constitution and composition of the Houses

अनुच्छेद 79, 80, 81

- 1 भारत में एक संसद होगी, जिसमें राष्ट्रपति और दो सदन शामिल होंगे।
There shall be a Parliament for India consisting of the President and two Houses.
- 2 राज्यों की परिषद (राज्य सभा) — उच्च सदन; जनता का सदन (लोक सभा) — निम्न सदन।
Council of States (Rajya Sabha) is the Upper House; House of the People (Lok Sabha) is the Lower House.
- 3 राष्ट्रपति संसद का अभिन्न अंग है, क्योंकि उसकी स्वीकृति के बिना कोई विधेयक कानून नहीं बनता।
The President is an integral part of Parliament, since no Bill becomes law without his assent.
- 4 भारत की संसदीय प्रणाली ब्रिटेन के वेस्टमिंस्टर मॉडल से ली गई है।
India's parliamentary system is borrowed from the Westminster model of the United Kingdom.
- 5 राष्ट्रपति सदनों की बैठकों में नहीं बैठता, फिर भी वह संसद का अंग है — यही भारतीय मॉडल की विशेषता है।
The President does not sit in the Houses, yet remains a part of Parliament — a distinctive feature of the Indian model.

लोक सभा और राज्य सभा : आधारभूत तथ्य

तुलना

Lok Sabha and Rajya Sabha : basic facts

लोक सभा

Lok Sabha (House of the People)

- गठन : 17 अप्रैल 1952
Constituted on 17 April 1952
- पहली बैठक : 13 मई 1952
First sitting held on 13 May 1952
- हिन्दी नाम 'लोक सभा' 1954 में अपनाया गया।
The Hindi name 'Lok Sabha' was adopted in 1954.
- सदस्य जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं।
Members are directly elected by the people.
- नए संसद भवन में इसका विषय (थीम) — मोर।
Its theme in the new Parliament building is the peacock.

राज्य सभा

Rajya Sabha (Council of States)

- गठन : 3 अप्रैल 1952
Constituted on 3 April 1952
- पहली बैठक : 13 मई 1952
First sitting held on 13 May 1952
- हिन्दी नाम 'राज्य सभा' 1954 में अपनाया गया।
The Hindi name 'Rajya Sabha' was adopted in 1954.
- 'स्थायी सदन' तथा 'वरिष्ठों का सदन' भी कहा जाता है।
Also called the 'permanent House' and the 'House of Elders'.
- नए संसद भवन में इसका विषय (थीम) — कमल।
Its theme in the new Parliament building is the lotus.

राज्य सभा की संरचना

अनुच्छेद 80

Composition of the Rajya Sabha

- अधिकतम सदस्य संख्या 250 — 238 राज्यों तथा संघ राज्यक्षेत्रों के प्रतिनिधि + 12 राष्ट्रपति द्वारा नामनिर्देशित।

Maximum strength is 250 — 238 representatives of States and Union Territories plus 12 nominated by the President.
- नामनिर्देशित सदस्य चार क्षेत्रों से — साहित्य, विज्ञान, कला और समाज सेवा (सूत्र : LiSAS)।

Nominated members come from four fields — Literature, Science, Art and Social service (mnemonic: LiSAS).
- वर्तमान सदस्य संख्या 245 है — 233 निर्वाचित तथा 12 नामनिर्देशित।

The present strength is 245 — 233 elected and 12 nominated.
- 245 और 250 का अंतर इसलिए है कि 238 केवल ऊपरी सीमा है; चौथी अनुसूची में वास्तविक आवंटन 233 सीटों का है।

The gap between 245 and 250 exists because 238 is only a ceiling; the Fourth Schedule actually allots 233 seats.
- सावधान : यह अंतर पाक-अधिकृत कश्मीर या अक्साई चिन की रिक्त सीटों के कारण नहीं है — यह एक प्रचलित भ्रांति है।

Caution: this gap is not due to vacant seats for PoK or Aksai Chin — that is a common misconception.

राज्य सभा में प्रतिनिधित्व एवं निर्वाचन

अनुच्छेद 80

Representation and election in the Rajya Sabha

- सदस्यों का चुनाव राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से होता है।

Members are elected indirectly by the elected members of the State Legislative Assemblies.
- पद्धति — एकल संक्रमणीय मत द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली (STV)।

The method is proportional representation by means of the single transferable vote (STV).
- राज्यों को जनसंख्या के आधार पर सीटें मिलती हैं, इसलिए प्रतिनिधित्व असमान है (अमेरिकी सीनेट के विपरीत)।

Seats are allotted to States on the basis of population, so representation is unequal (unlike the US Senate).
- 2003 से खुली मतपत्र प्रणाली लागू है; कुलदीप नैयर बनाम भारत संघ (2006) में इसे वैध ठहराया गया।

Open ballot has applied since 2003; it was upheld in Kuldip Nayar v. Union of India (2006).
- निर्वाचन की यह पद्धति दक्षिण अफ्रीका से तथा सदस्यों का नामनिर्देशन आयरलैंड से लिया गया है।

This method of election is borrowed from South Africa and the nomination of members from Ireland.

लोक सभा की संरचना

अनुच्छेद 81

Composition of the Lok Sabha

- अधिकतम सदस्य संख्या 550 — राज्यों से अधिकतम 530 तथा संघ राज्यक्षेत्रों से अधिकतम 20।

Maximum strength is 550 — not more than 530 from States and not more than 20 from Union Territories.
- वर्तमान सदस्य संख्या 543 है, जो सभी प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित हैं।

The present strength is 543, all of them directly elected.
- पहले अनुच्छेद 331 के अधीन 2 आंग्ल-भारतीय सदस्य राष्ट्रपति द्वारा नामनिर्देशित होते थे।

Earlier, two Anglo-Indian members were nominated by the President under Article 331.
- 104वें संविधान संशोधन (2019) द्वारा यह प्रावधान 25 जनवरी 2020 से समाप्त कर दिया गया।

The 104th Constitutional Amendment (2019) ended that provision with effect from 25 January 2020.
- प्रतिनिधित्व में अंतर-राज्यीय तथा अंतः-राज्यीय दोनों स्तरों पर समानता बनाए रखी जाती है।

Uniformity of representation is maintained at both the inter-State and intra-State levels.

क्या आप जानते हैं?

रोचक तथ्य

Did you know?

- 1 लोक सभा में हरा कालीन बिछा होता है और राज्य सभा में लाल कालीन।
The Lok Sabha has a green carpet while the Rajya Sabha has a red carpet.
- 2 हरा रंग यह दर्शाता है कि भारत एक कृषि प्रधान देश है और यहाँ के सदस्य सीधे जनता से चुनकर आते हैं।
Green signifies that India is an agricultural country and that these members are chosen directly by the people.
- 3 लाल रंग शाही भव्यता तथा स्वतंत्रता संग्राम में दिए गए बलिदानों का प्रतीक माना जाता है।
Red is taken to symbolise royal grandeur and the sacrifices made in the freedom struggle.
- 4 नए संसद भवन में लोक सभा कक्ष मोर की थीम पर और राज्य सभा कक्ष कमल की थीम पर बना है।
In the new Parliament building the Lok Sabha chamber follows a peacock theme and the Rajya Sabha a lotus theme.

02

पुनर्समायोजन एवं परिसीमन

Readjustment and delimitation

अनुच्छेद 82

प्रत्येक जनगणना के बाद पुनर्समायोजन

अनुच्छेद 82

Readjustment after every census

- 1 प्रत्येक जनगणना के बाद सीटों और निर्वाचन क्षेत्रों का पुनर्समायोजन किया जाता है।
After every census, seats and territorial constituencies are readjusted.
- 2 यह कार्य संसद द्वारा बनाए गए कानून के अधीन गठित परिसीमन आयोग करता है।
This work is done by a Delimitation Commission constituted under a law made by Parliament.
- 3 परिसीमन का अर्थ है — निर्वाचन क्षेत्रों की सीमाएँ तय करने की प्रक्रिया।
Delimitation means the process of fixing the boundaries of territorial constituencies.
- 4 आयोग का अध्यक्ष उच्चतम न्यायालय का सेवानिवृत्त न्यायाधीश होता है और मुख्य निर्वाचन आयुक्त पदेन सदस्य होते हैं।
Its chairperson is a retired Supreme Court judge and the Chief Election Commissioner is an ex-officio member.
- 5 आयोग के आदेश अंतिम होते हैं और किसी भी न्यायालय में उन्हें चुनौती नहीं दी जा सकती।
Orders of the Commission are final and cannot be challenged in any court.

- 1 परिसीमन अधिनियम अब तक चार बार बने — 1952, 1962, 1972 और 2002 में।
Delimitation Acts have been enacted four times so far — in 1952, 1962, 1972 and 2002.
- 2 इनके अधीन आयोग क्रमशः 1952, 1963, 1973 और 2002 में गठित किए गए।
The Commissions under them were set up in 1952, 1963, 1973 and 2002 respectively.
- 3 42वाँ संविधान संशोधन (1976) — सीटों की संख्या 1971 की जनगणना के आधार पर वर्ष 2000 तक स्थिर कर दी गई।
42nd Amendment (1976) froze the number of seats on the basis of the 1971 census until the year 2000.
- 4 84वाँ संविधान संशोधन (2001) — यह रोक 2026 के बाद होने वाली पहली जनगणना तक बढ़ा दी गई।
84th Amendment (2001) extended that freeze till the first census taken after 2026.
- 5 87वाँ संविधान संशोधन (2003) — निर्वाचन क्षेत्रों का समायोजन 1991 के स्थान पर 2001 की जनगणना के आधार पर।
87th Amendment (2003) allowed readjustment of constituencies on the basis of the 2001 census instead of 1991.

03

सदनों की अवधि

Duration of the Houses

अनुच्छेद 83

सदनों की अवधि

अनुच्छेद 83

Duration of the Houses

राज्य सभा

Rajya Sabha

- यह एक स्थायी सदन है और विघटन के अधीन नहीं है।

It is a permanent House and is not subject to dissolution.

- इसके एक-तिहाई सदस्य प्रत्येक दूसरे वर्ष सेवानिवृत्त होते हैं।

One-third of its members retire every second year.

- सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है।

The term of its members is six years.

- 6 वर्ष की अवधि संविधान में नहीं, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 में दी गई है।

The six-year term is fixed by the Representation of the People Act 1951, not by the Constitution.

लोक सभा

Lok Sabha

- सामान्य कार्यकाल 5 वर्ष का होता है।

Its normal term is five years.

- 42वें संशोधन (1976) ने इसे 6 वर्ष किया; 44वें संशोधन (1978) ने 5 वर्ष बहाल किया।

The 42nd Amendment (1976) made it six years; the 44th (1978) restored five.

- राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह पर इसे समय से पहले भंग कर सकते हैं।

The President may dissolve it before time on the advice of the Council of Ministers.

- राष्ट्रीय आपातकाल में इसे एक बार में एक वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है; आपातकाल समाप्त होने के 6 माह के भीतर चुनाव अनिवार्य।

During a National Emergency it may be extended one year at a time; elections must follow within six months of its end.

सबसे छोटी लोक सभा

तथ्य

The shortest Lok Sabha

12वीं

सबसे कम अवधि तक चलने वाली लोक सभा

The Lok Sabha that lasted the shortest time

1998

गठन — 10 मार्च 1998

Constituted on 10 March 1998

1999

विघटन — 26 अप्रैल 1999

Dissolved on 26 April 1999

~13

कुल अवधि लगभग 13 माह

Total duration about thirteen months

270

उपाध्यक्ष चुनने में लगे दिन — अब तक का रिकॉर्ड

Days taken to elect its Deputy Speaker — a record

2019

तब से लोक सभा उपाध्यक्ष का पद रिक्त है

The office of Deputy Speaker has lain vacant since then

04

सदस्यता की योग्यताएँ

Qualifications for membership

अनुच्छेद 84

संसद की सदस्यता के लिए योग्यताएँ

अनुच्छेद 84

Qualifications for membership of Parliament

- 1 व्यक्ति का भारत का नागरिक होना आवश्यक है।
The person must be a citizen of India.
- 2 राज्य सभा के लिए न्यूनतम आयु 30 वर्ष तथा लोक सभा के लिए 25 वर्ष।
The minimum age is thirty years for the Rajya Sabha and twenty-five for the Lok Sabha.
- 3 उसे निर्वाचन आयोग द्वारा अधिकृत व्यक्ति के समक्ष शपथ या प्रतिज्ञान करना होता है।
He must make an oath or affirmation before a person authorised by the Election Commission.
- 4 अन्य योग्यताएँ संसद विधि द्वारा निर्धारित करती है — जैसे लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951।
Other qualifications are prescribed by Parliament by law, such as the Representation of the People Act, 1951.
- 5 राज्य सभा के लिए उसी राज्य का निवासी/मतदाता होने की शर्त 2003 में समाप्त कर दी गई।
The requirement of being a voter of the same State for the Rajya Sabha was removed in 2003.

05

संसद के सत्र एवं कार्यवाही

Sessions and proceedings of Parliament

अनुच्छेद 85 – 88

सत्र, सत्रावसान और विघटन

अनुच्छेद 85

Sessions, prorogation and dissolution

- 1 राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद् की सलाह पर संसद के सत्र आहूत करते हैं।
The President summons the sessions of Parliament on the advice of the Council of Ministers.
- 2 दो सत्रों के बीच छह माह से अधिक का अंतराल नहीं हो सकता।
There cannot be a gap of more than six months between two sessions.
- 3 व्यवहार में तीन सत्र होते हैं — बजट सत्र (फरवरी से मई), मानसून सत्र (जुलाई से सितंबर), शीतकालीन सत्र (नवंबर-दिसंबर)।
In practice there are three sessions — Budget (February to May), Monsoon (July to September) and Winter (November–December).
- 4 संविधान में सत्रों की संख्या या नाम कहीं नहीं दिए गए हैं — यह परंपरा मात्र है।
The Constitution nowhere prescribes the number or names of sessions — these are only conventions.
- 5 संसद का वर्ष में न्यूनतम कितने दिन बैठना अनिवार्य है, इसका भी कोई उल्लेख नहीं है।
Nor is there any provision on the minimum number of days Parliament must sit in a year.

स्थगन, सत्रावसान और विघटन में अंतर

प्रक्रिया

Adjournment, prorogation and dissolution distinguished

- 1 स्थगन — सत्र के भीतर कार्यवाही में अस्थायी विराम; यह पीठासीन अधिकारी द्वारा किया जाता है।
Adjournment is a temporary break within a session, effected by the presiding officer.
- 2 अनिश्चितकाल के लिए स्थगन — बैठक बिना अगली तिथि तय किए समाप्त; यह भी पीठासीन अधिकारी करते हैं।
Adjournment sine die ends a sitting without setting a date, again by the presiding officer.
- 3 सत्रावसान — पूरे सत्र की समाप्ति; यह राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है।
Prorogation terminates an entire session and is done by the President.
- 4 विघटन — वर्तमान लोक सभा का अंत; यह भी राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह पर करते हैं।
Dissolution ends the existing Lok Sabha and is also done by the President on ministerial advice.
- 5 राज्य सभा का कभी विघटन नहीं होता, केवल सत्रावसान और स्थगन होता है।
The Rajya Sabha is never dissolved; it is only prorogued and adjourned.

कुछ महत्वपूर्ण संसदीय प्रस्ताव

प्रस्ताव

Some important parliamentary devices

- 1 स्थगन प्रस्ताव — अत्यावश्यक लोक महत्व के मामले की ओर सदन का ध्यान खींचने के लिए; स्वीकृति हेतु 50 सदस्यों का समर्थन आवश्यक।
Adjournment motion draws the House's attention to an urgent matter of public importance; it needs the support of fifty members.
- 2 समापन प्रस्ताव — चल रही बहस को संक्षिप्त कर मतदान कराने के लिए लाया जाता है।
Closure motion is moved to cut short a debate and put the matter to vote.
- 3 ध्यानाकर्षण प्रस्ताव — किसी अत्यावश्यक लोक महत्व के मामले पर मंत्री का ध्यान आकर्षित करने के लिए।
Calling attention motion draws a minister's attention to a matter of urgent public importance.
- 4 औचित्य का प्रश्न — तब उठाया जाता है जब सदन की कार्यवाही नियमों के विरुद्ध चल रही हो; इस पर बहस नहीं होती।
A point of order is raised when proceedings violate the rules; no debate is allowed on it.
- 5 ध्यानाकर्षण प्रस्ताव भारतीय नवाचार है और 1954 से प्रचलन में है; इसका संविधान में उल्लेख नहीं।
The calling attention motion is an Indian innovation in use since 1954 and finds no mention in the Constitution.

निंदा प्रस्ताव बनाम अविश्वास प्रस्ताव

तुलना

Censure motion versus no-confidence motion

निंदा प्रस्ताव

Censure motion

- इसमें कारण बताना आवश्यक है।
Reasons for it must be stated.
- यह किसी एक मंत्री, मंत्रियों के समूह या पूरी मंत्रिपरिषद के विरुद्ध लाया जा सकता है।
It may be moved against an individual minister, a group of ministers or the entire Council.
- यह किसी विशिष्ट नीति या कार्य को लक्ष्य बनाकर लाया जाता है।
It is directed at a specific policy or act.
- पारित हो जाने पर भी मंत्रिपरिषद को त्यागपत्र देना अनिवार्य नहीं।
Even if passed, the Council of Ministers need not resign.

अविश्वास प्रस्ताव

No-confidence motion

- इसमें कोई कारण बताना आवश्यक नहीं।
No reasons need be stated.
- यह केवल संपूर्ण मंत्रिपरिषद के विरुद्ध ही लाया जा सकता है।
It can be moved only against the entire Council of Ministers.
- इसका उद्देश्य लोक सभा में सरकार का बहुमत परखना होता है।
Its purpose is to test the government's majority in the Lok Sabha.
- पारित होने पर मंत्रिपरिषद को त्यागपत्र देना अनिवार्य है; स्वीकृति हेतु 50 सदस्यों का समर्थन चाहिए।
If passed, the Council must resign; its admission requires the support of fifty members.

- 1 तारांकित प्रश्न — इनका उत्तर मौखिक दिया जाता है और पूरक प्रश्न पूछे जा सकते हैं।
Starred questions are answered orally and supplementary questions may follow.
- 2 अतारांकित प्रश्न — इनका उत्तर लिखित होता है और कोई पूरक प्रश्न नहीं पूछा जा सकता।
Unstarred questions are answered in writing and no supplementary question is allowed.
- 3 अल्प सूचना प्रश्न — 10 दिन से कम की सूचना पर पूछा गया प्रश्न, जिसका उत्तर मौखिक होता है।
A short notice question is asked at less than ten days' notice and is answered orally.
- 4 निजी सदस्य से प्रश्न — तब पूछा जाता है जब विषय उस सदस्य द्वारा लाए गए विधेयक या संकल्प से जुड़ा हो।
A question to a private member is asked when the subject relates to a Bill or resolution he is in charge of.
- 5 निजी सदस्य वह सांसद होता है जो मंत्री नहीं है।
A private member is a Member of Parliament who is not a minister.

सत्र की दिनचर्या एवं शून्यकाल

कार्यवाही

Daily routine of a sitting and the Zero Hour

- 1 बैठक प्रातः 11 बजे प्रारंभ होती है।
A sitting begins at eleven in the morning.
- 2 11 बजे से 12 बजे तक प्रश्नकाल चलता है।
The Question Hour runs from eleven to twelve.
- 3 12 बजे से 1 बजे तक शून्यकाल होता है।
The Zero Hour runs from twelve to one.
- 4 शून्यकाल बिना पूर्व सूचना के तत्काल महत्व का मामला उठाने का अनौपचारिक साधन है।
The Zero Hour is an informal device to raise a matter of immediate importance without prior notice.
- 5 यह भारतीय नवाचार है, 1962 से प्रचलन में है और संविधान तथा प्रक्रिया-नियमों में इसका उल्लेख नहीं है।
It is an Indian innovation in use since 1962 and is mentioned neither in the Constitution nor in the Rules of Procedure.

राष्ट्रपति का अभिभाषण एवं संदेश

अनु. 86 एवं 87

Address and messages by the President

- 1 अनुच्छेद 86 — राष्ट्रपति किसी एक सदन या दोनों सदनों को संयुक्त रूप से संबोधित कर सकते हैं।
Article 86 allows the President to address either House or both Houses assembled together.
- 2 अनुच्छेद 86 — वे किसी लंबित विधेयक या अन्य मामले पर सदन को संदेश भी भेज सकते हैं।
Article 86 also lets him send messages to a House on a pending Bill or any other matter.
- 3 अनुच्छेद 87 — राष्ट्रपति दो अवसरों पर दोनों सदनों को एक साथ विशेष अभिभाषण देते हैं।
Article 87 provides for a special address by the President to both Houses on two occasions.
- 4 पहला — प्रत्येक आम चुनाव के बाद का पहला सत्र; दूसरा — प्रत्येक वर्ष का पहला सत्र।
First, the first session after each general election; second, the first session of each year.
- 5 अभिभाषण पर सदन में चर्चा होती है, जिसे धन्यवाद प्रस्ताव कहा जाता है; इसका पारित होना अनिवार्य है।
The address is debated through the Motion of Thanks, and its passage is compulsory.

मंत्रियों और महान्यायवादी के अधिकार

अनुच्छेद 88

Rights of ministers and the Attorney General

- 1 प्रत्येक मंत्री को किसी भी सदन की कार्यवाही में बोलने और भाग लेने का अधिकार है।
Every minister has the right to speak in and take part in the proceedings of either House.
- 2 किंतु वह मतदान केवल उसी सदन में कर सकता है जिसका वह सदस्य है।
But he may vote only in the House of which he is a member.
- 3 महान्यायवादी किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता, फिर भी उसे दोनों सदनों में बोलने का अधिकार है।
The Attorney General is not a member of either House, yet he has the right to speak in both.
- 4 उसे मतदान का कोई अधिकार नहीं है।
He has no right to vote.
- 5 यही अधिकार उसे संयुक्त बैठक तथा उन समितियों में भी प्राप्त है जिनका वह नामित सदस्य हो।
The same right extends to joint sittings and to committees of which he is a named member.

06

संसद के पदाधिकारी

Presiding officers of Parliament

अनुच्छेद 89 – 98

राज्य सभा के सभापति एवं उपसभापति

अनुच्छेद 89

Chairman and Deputy Chairman of the Rajya Sabha

- 1 भारत के उपराष्ट्रपति पदेन रूप से राज्य सभा के सभापति होते हैं।
The Vice-President of India is the ex-officio Chairman of the Rajya Sabha.
- 2 वे राज्य सभा के सदस्य नहीं होते।
He is not a member of the Rajya Sabha.
- 3 उपसभापति का चुनाव राज्य सभा अपने सदस्यों में से स्वयं करती है।
The Deputy Chairman is elected by the Rajya Sabha itself from among its members.
- 4 सभापति की अनुपस्थिति में उपसभापति सदन की अध्यक्षता करते हैं।
In the Chairman's absence the Deputy Chairman presides over the House.
- 5 सभापति जब सदन की अध्यक्षता कर रहे हों तब उपसभापति सदन के किसी अन्य सदस्य की तरह ही होते हैं।
When the Chairman presides, the Deputy Chairman is like any other member of the House.

उपसभापति : पद रिक्त होना एवं शक्तियाँ

अनु. 90 एवं 91

Deputy Chairman : vacancy and powers

- 1 उपसभापति सभापति को संबोधित पत्र देकर त्यागपत्र दे सकते हैं।
The Deputy Chairman may resign by writing to the Chairman.
- 2 उन्हें राज्य सभा की कुल तत्कालीन सदस्यता के बहुमत यानी प्रभावी बहुमत से हटाया जा सकता है।
He may be removed by an effective majority, that is, a majority of the then members of the Rajya Sabha.
- 3 प्रभावी बहुमत = कुल सदस्य संख्या में से रिक्तियाँ घटाने पर बचे सदस्यों का बहुमत।
Effective majority means a majority of the total membership minus the existing vacancies.
- 4 ऐसे प्रस्ताव के लिए 14 दिन की पूर्व सूचना देना अनिवार्य है।
Fourteen days' prior notice is compulsory for such a resolution.
- 5 सभापति और उपसभापति दोनों पद रिक्त हों, तो राष्ट्रपति किसी सदस्य को यह कर्तव्य सौंप सकते हैं।
If both offices fall vacant, the President may appoint a member to perform these duties.

निष्कासन प्रस्ताव के समय अध्यक्षता का निषेध

अनुच्छेद 92

Presiding barred while a removal resolution is under consideration

- 1 जब सभापति या उपसभापति को हटाने का प्रस्ताव विचाराधीन हो, तब वे अध्यक्षता नहीं कर सकते।
While a resolution for his removal is under consideration, the Chairman or Deputy Chairman cannot preside.
- 2 फिर भी उन्हें कार्यवाही में बोलने और भाग लेने का पूरा अधिकार रहता है।
He nevertheless retains the full right to speak in and take part in the proceedings.
- 3 अनुच्छेद 92(2) के अनुसार वे ऐसे प्रस्ताव पर प्रथम दृष्टया मत दे सकते हैं, किंतु निर्णायक मत नहीं।
Under Article 92(2) he may vote in the first instance on such a resolution, but not a casting vote.
- 4 सामान्य कार्यवाही में सभापति प्रथम दृष्टया मत नहीं देते, क्योंकि वे सदन के सदस्य नहीं हैं।
In ordinary proceedings the Chairman does not vote in the first instance, as he is not a member of the House.
- 5 उपसभापति सदन के सदस्य होने के नाते सामान्यतः प्रथम दृष्टया मत देते हैं और पीठासीन होने पर निर्णायक मत।
The Deputy Chairman, being a member, normally votes in the first instance and casts a deciding vote when presiding.

लोक सभा के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष

अनुच्छेद 93

Speaker and Deputy Speaker of the Lok Sabha

- 1 लोक सभा यथाशीघ्र अपने दो सदस्यों को अध्यक्ष और उपाध्यक्ष चुनती है; चुनाव साधारण बहुमत से होता है।

The Lok Sabha, as soon as may be, chooses two of its members as Speaker and Deputy Speaker by simple majority.
- 2 प्रथम अध्यक्ष — गणेश वासुदेव मावलंकर; प्रथम उपाध्यक्ष — एम. ए. अय्यंगार।

The first Speaker was Ganesh Vasudev Mavalankar and the first Deputy Speaker M. A. Ayyangar.
- 3 प्रथम महिला अध्यक्ष — मीरा कुमार, जो 15वीं लोक सभा (2009–2014) की अध्यक्ष रहीं।

The first woman Speaker was Meira Kumar, who presided over the 15th Lok Sabha (2009–2014).
- 4 अध्यक्ष भारतीय संसदीय समूह के पदेन अध्यक्ष होते हैं।

The Speaker is the ex-officio president of the Indian Parliamentary Group.
- 5 विशेषाधिकार के किसी प्रश्न को जाँच हेतु विशेषाधिकार समिति को भेजने का अधिकार अध्यक्ष के पास है।

The Speaker may refer any question of privilege to the Committee of Privileges for examination.

अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष : त्यागपत्र और निष्कासन

अनु. 94 एवं 95

Speaker and Deputy Speaker : resignation and removal

- 1 अध्यक्ष अपना त्यागपत्र उपाध्यक्ष को और उपाध्यक्ष अपना त्यागपत्र अध्यक्ष को देते हैं।
The Speaker resigns to the Deputy Speaker and the Deputy Speaker to the Speaker.
- 2 दोनों को सदन की तत्कालीन समस्त सदस्यता के बहुमत यानी प्रभावी बहुमत से हटाया जा सकता है।
Both may be removed by an effective majority of all the then members of the House.
- 3 ऐसे प्रस्ताव के लिए 14 दिन की पूर्व सूचना अनिवार्य है।
Fourteen days' prior notice is mandatory for such a resolution.
- 4 लोक सभा भंग होने पर अध्यक्ष तुरंत पद नहीं छोड़ते; वे नई लोक सभा की पहली बैठक तक पद पर बने रहते हैं।
On dissolution the Speaker does not vacate office at once but continues till the first sitting of the new House.
- 5 अनुच्छेद 95 — अध्यक्ष का पद रिक्त होने या उनकी अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष उनके कर्तव्यों का निर्वहन करते हैं।
Article 95 — the Deputy Speaker performs the Speaker's duties when that office is vacant or he is absent.

अनुच्छेद 96 एवं 97 : शेष प्रावधान

अनु. 96 एवं 97

Articles 96 and 97 : remaining provisions

- 1 अनुच्छेद 96 — अपने निष्कासन के प्रस्ताव पर अध्यक्ष या उपाध्यक्ष अध्यक्षता नहीं कर सकते।
Article 96 — the Speaker or Deputy Speaker cannot preside over a resolution for his own removal.
- 2 वे ऐसी चर्चा में बोल सकते हैं और प्रथम दृष्टया मत भी दे सकते हैं, पर निर्णायक मत नहीं।
He may speak in such a debate and vote in the first instance, but has no casting vote.
- 3 अध्यक्ष का पद रिक्त हो, तो राष्ट्रपति किसी सदस्य को अध्यक्ष के कर्तव्य निभाने के लिए नियुक्त करते हैं।
If the office of Speaker is vacant, the President appoints a member to perform his duties.
- 4 अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों अनुपस्थित हों, तो सभापति तालिका का कोई सदस्य अध्यक्षता करता है।
If both are absent, a member of the Panel of Chairpersons presides.
- 5 अनुच्छेद 97 — इन सभी पदाधिकारियों के वेतन और भत्ते संसद तय करती है और ये भारत की संचित निधि पर भारित हैं।
Article 97 — their salaries and allowances are fixed by Parliament and charged on the Consolidated Fund of India.

संसद का सचिवालय एवं सदस्यों की शपथ

अनु. 98 एवं 99

Secretariat of Parliament and oath by members

- 1 अनुच्छेद 98 — प्रत्येक सदन का अपना अलग सचिवालय कर्मचारी वर्ग होता है।
Article 98 — each House has its own separate secretarial staff.
- 2 सचिवालय की भर्ती और सेवा शर्तें संसद विधि द्वारा तय करती है।
Recruitment and conditions of service of the secretariat are regulated by Parliament by law.
- 3 लोक सभा का महासचिव अध्यक्ष द्वारा तथा राज्य सभा का महासचिव सभापति द्वारा नियुक्त किया जाता है।
The Secretary-General of the Lok Sabha is appointed by the Speaker and that of the Rajya Sabha by the Chairman.
- 4 ध्यान दें — अनुच्छेद 98 का संबंध केवल संसद के सचिवालय से है, कैबिनेट सचिवालय से नहीं।
Note that Article 98 concerns only the secretariat of Parliament, not the Cabinet Secretariat.
- 5 अनुच्छेद 99 — प्रत्येक सदस्य पद ग्रहण करने से पहले राष्ट्रपति या उनके द्वारा नियुक्त व्यक्ति के समक्ष शपथ लेता है।
Article 99 — every member takes an oath before the President or a person appointed by him before taking his seat.

सामयिक अध्यक्ष (प्रोटेम स्पीकर)

परंपरा

The Pro-tem Speaker

- 1 नई लोक सभा के गठन पर राष्ट्रपति एक वरिष्ठ सदस्य को अस्थायी रूप से सामयिक अध्यक्ष नियुक्त करते हैं।
On the constitution of a new Lok Sabha the President appoints a senior member as Pro-tem Speaker.
- 2 उनका मुख्य कार्य नवनिर्वाचित सदस्यों को शपथ दिलाना है।
His main task is to administer the oath to the newly elected members.
- 3 वे सदन की पहली बैठक की अध्यक्षता करते हैं और नए अध्यक्ष का चुनाव कराते हैं।
He presides over the first sitting and conducts the election of the new Speaker.
- 4 नया अध्यक्ष चुने जाते ही सामयिक अध्यक्ष का पद स्वतः समाप्त हो जाता है।
The office of Pro-tem Speaker ceases the moment the new Speaker is elected.
- 5 'सामयिक अध्यक्ष' शब्द संविधान में नहीं है; यह प्रक्रिया-नियमों और परंपरा से आता है।
The term 'Pro-tem Speaker' does not occur in the Constitution; it comes from the rules and convention.

सदनों में मतदान एवं गणपूर्ति

अनुच्छेद 100

Voting in the Houses and quorum

- 1 अनुच्छेद 100(1) — सभी प्रश्न उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के बहुमत से तय होते हैं।
Article 100(1) — all questions are decided by a majority of members present and voting.
- 2 पीठासीन अधिकारी प्रथम दृष्टया मत नहीं देते, किंतु मतों की बराबरी पर निर्णायक मत देते हैं।
The presiding officer does not vote in the first instance but exercises a casting vote in case of a tie.
- 3 अनुच्छेद 100(2) — सदस्यता में रिक्तियाँ होने पर भी सदन कार्य कर सकता है।
Article 100(2) — a House may act notwithstanding any vacancy in its membership.
- 4 अनुच्छेद 100(3) — गणपूर्ति सदन की कुल सदस्य संख्या का दसवाँ भाग है — लोक सभा में 55 और राज्य सभा में 25।
Article 100(3) — the quorum is one-tenth of the total membership: fifty-five in the Lok Sabha and twenty-five in the Rajya Sabha.
- 5 अनुच्छेद 100(4) — गणपूर्ति न होने पर पीठासीन अधिकारी बैठक स्थगित कर देते हैं।
Article 100(4) — in the absence of a quorum the presiding officer adjourns the sitting.

07

सीटों का रिक्त होना एवं अयोग्यता

Vacation of seats and disqualification

अनुच्छेद 101 – 106

सीटों का रिक्त होना

अनुच्छेद 101

Vacation of seats

- 1 101(1) — कोई व्यक्ति संसद के दोनों सदनों का एक साथ सदस्य नहीं रह सकता।
101(1) — no person may be a member of both Houses of Parliament at the same time.
- 2 101(2) — कोई व्यक्ति संसद और किसी राज्य विधानमंडल दोनों का सदस्य एक साथ नहीं रह सकता।
101(2) — no person may simultaneously be a member of Parliament and of a State Legislature.
- 3 101(3)(क) — अनुच्छेद 102 के अधीन अयोग्य हो जाने पर सीट रिक्त हो जाती है।
101(3)(a) — a seat falls vacant when the member incurs a disqualification under Article 102.
- 4 101(3)(ख) — सदस्य अध्यक्ष या सभापति को लिखकर अपनी सीट से त्यागपत्र दे सकता है।
101(3)(b) — a member may resign his seat by writing to the Speaker or the Chairman.
- 5 101(4) — सदन की अनुमति के बिना 60 दिन तक अनुपस्थित रहने पर सदन सीट रिक्त घोषित कर सकता है।
101(4) — a House may declare a seat vacant if the member is absent for sixty days without its permission.

सदस्यता के लिए अयोग्यताएँ

अनुच्छेद 102

Disqualifications for membership

- 1 भारत सरकार या किसी राज्य सरकार के अधीन लाभ का पद धारण करने पर।
If he holds an office of profit under the Government of India or of any State.
- 2 सक्षम न्यायालय द्वारा विकृतचित्त घोषित किए जाने पर।
If he is declared of unsound mind by a competent court.
- 3 अनुमोचित दिवालिया होने पर।
If he is an undischarged insolvent.
- 4 भारत का नागरिक न रहने पर या किसी विदेशी राज्य की नागरिकता स्वेच्छा से ग्रहण कर लेने पर।
If he ceases to be a citizen of India or voluntarily acquires the citizenship of a foreign State.
- 5 लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के अधीन — दोषसिद्धि पर दो वर्ष या अधिक का कारावास भी अयोग्यता का आधार है।
Under the Representation of the People Act 1951, a conviction carrying two years' imprisonment or more is also a ground.

दलबदल के आधार पर अयोग्यता

10वीं अनुसूची

Disqualification on the ground of defection

- 1 अनुच्छेद 102(2) के अधीन दसवीं अनुसूची दलबदल पर अयोग्यता का प्रावधान करती है।
Under Article 102(2) the Tenth Schedule provides for disqualification on defection.
- 2 सदस्य स्वेच्छा से अपने राजनीतिक दल की सदस्यता छोड़ दे, तो वह अयोग्य हो जाता है।
A member is disqualified if he voluntarily gives up membership of his political party.
- 3 अपने दल के व्हिप के विरुद्ध मतदान करे या मतदान से अनुपस्थित रहे और 15 दिन में क्षमा न मिले, तो भी अयोग्य।
He is also disqualified if he votes against the party whip or abstains and is not condoned within fifteen days.
- 4 निर्दलीय सदस्य किसी दल में शामिल हो जाए, तथा नामनिर्देशित सदस्य 6 माह बाद किसी दल में शामिल हो जाए, तो अयोग्य।
An independent who joins a party, and a nominated member who joins one after six months, are disqualified.
- 5 अपवाद — यदि किसी दल के दो-तिहाई सदस्य किसी अन्य दल में विलय कर लें, तो अयोग्यता लागू नहीं होती।
Exception — if two-thirds of a party's members merge with another party, the disqualification does not apply.

अयोग्यता पर निर्णय एवं दंड

अनु. 103 एवं 104

Decision on disqualification and penalty

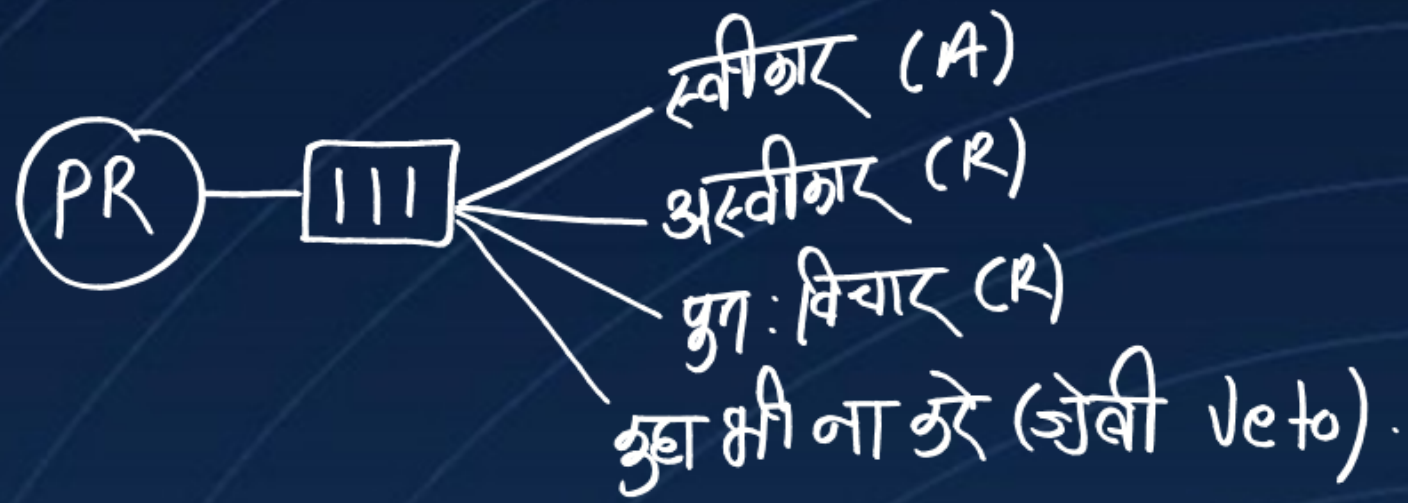
- 1 अनुच्छेद 103 — दलबदल के अतिरिक्त अन्य अयोग्यताओं पर राष्ट्रपति का निर्णय अंतिम होता है।
Article 103 — on disqualifications other than defection, the President's decision is final.
- 2 राष्ट्रपति ऐसा निर्णय देने से पहले निर्वाचन आयोग की राय लेते हैं और वह राय मानने को बाध्य हैं।
Before deciding, the President obtains the Election Commission's opinion and is bound to act on it.
- 3 दलबदल के मामलों में निर्णय अध्यक्ष या सभापति करते हैं।
In cases of defection the decision is taken by the Speaker or the Chairman.
- 4 किहोतो होलोहन बनाम जाचिल्हू (1992) — अध्यक्ष का यह निर्णय न्यायिक समीक्षा के अधीन है।
Kihoto Hollohan v. Zachillhu (1992) — this decision of the Speaker is subject to judicial review.
- 5 अनुच्छेद 104 — शपथ लिए बिना या अयोग्य रहते हुए बैठने-मतदान करने पर प्रतिदिन 500 रुपये का दंड।
Article 104 — sitting or voting before taking oath or while disqualified attracts a penalty of five hundred rupees a day.

संसदीय विशेषाधिकार, उन्मुक्तियाँ एवं वेतन

अनु. 105 एवं 106

Parliamentary privileges, immunities and salaries

- 1 105(1) — सदन में वाक् स्वातंत्र्य, जो संविधान और प्रक्रिया-नियमों के अधीन है।
105(1) — freedom of speech in the House, subject to the Constitution and the rules of procedure.
- 2 105(2) — सदन में कही गई किसी बात या दिए गए मत के लिए किसी सदस्य पर न्यायालय में मुकदमा नहीं चलाया जा सकता।
105(2) — no member is liable in any court for anything said or any vote given in the House.
- 3 सदस्यों को सत्र के दौरान तथा सत्र से 40 दिन पूर्व और 40 दिन बाद तक दीवानी गिरफ्तारी से छूट प्राप्त है।
Members are free from civil arrest during a session and for forty days before and after it.
- 4 यह छूट आपराधिक मामलों या निवारक निरोध पर लागू नहीं होती।
This freedom does not extend to criminal cases or preventive detention.
- 5 सीता सोरेन बनाम भारत संघ (2024) — रिश्वत लेकर मत देने पर सांसद-विधायक को कोई उन्मुक्ति नहीं।
Sita Soren v. Union of India (2024) — legislators enjoy no immunity for taking a bribe to vote.



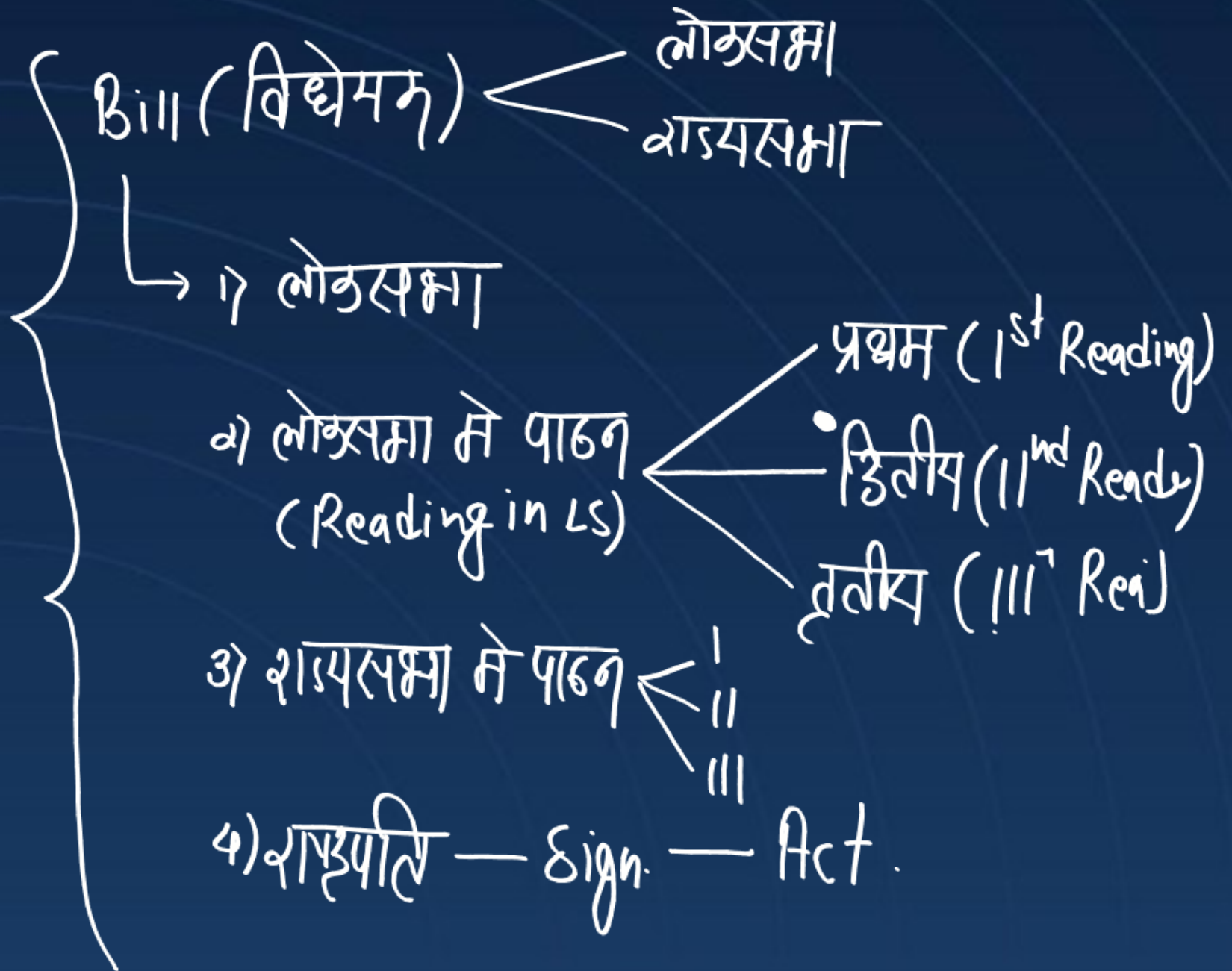
Bill —————> Act

08

विधायी प्रक्रिया

The legislative process

अनुच्छेद 107 - 111



विधेयकों का पुरःस्थापन एवं पारित होना

अनुच्छेद 107

Introduction and passing of Bills

- 1 107(1) — धन विधेयक को छोड़कर कोई भी विधेयक किसी भी सदन में पुरःस्थापित किया जा सकता है।

107(1) — except a Money Bill, any Bill may be introduced in either House.

- 2 107(2) — विधेयक तभी पारित माना जाता है जब दोनों सदन उस पर सहमत हो जाएँ।

107(2) — a Bill is deemed passed only when both Houses have agreed to it.

- 3 107(3) — सत्र के स्थगन या सत्रावसान से लंबित विधेयक समाप्त नहीं होता।

107(3) — a pending Bill does not lapse on the adjournment or prorogation of a session.

- 4 107(4) — लोक सभा में लंबित विधेयक तथा लोक सभा द्वारा पारित होकर राज्य सभा में लंबित विधेयक विघटन पर समाप्त हो जाते हैं।

107(4) — a Bill pending in the Lok Sabha, or passed by it and pending in the Rajya Sabha, lapses on dissolution.

- 5 107(5) — राज्य सभा में लंबित वह विधेयक जिसे लोक सभा ने पारित नहीं किया, विघटन पर समाप्त नहीं होता।

107(5) — a Bill pending in the Rajya Sabha that the Lok Sabha has not passed does not lapse on dissolution.

विधेयकों का वर्गीकरण

वर्गीकरण

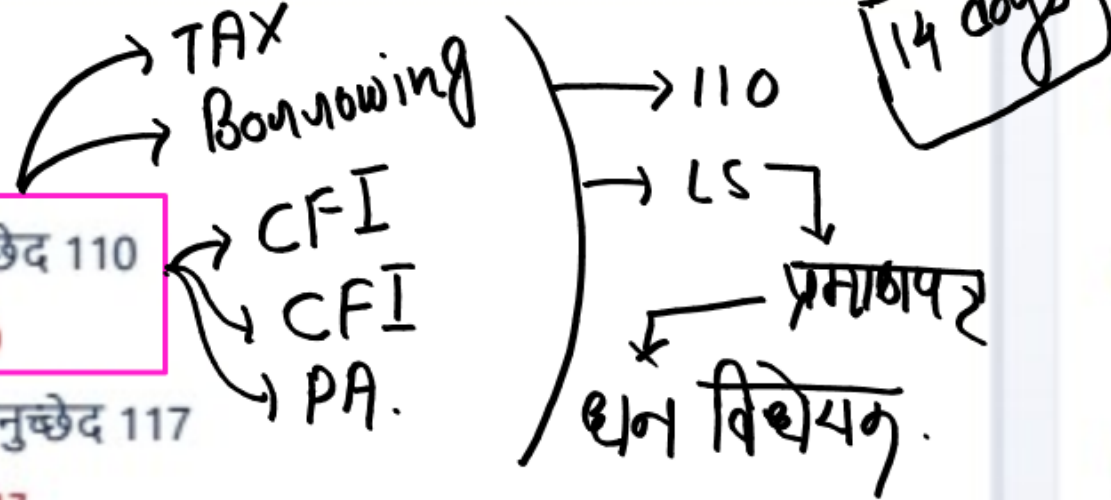
Classification of Bills

विषय-वस्तु के आधार पर चार प्रकार

Four types according to their content

- साधारण विधेयक
Ordinary Bill
 - धन विधेयक — अनुच्छेद 110
Money Bill — Article 110
 - वित्तीय विधेयक — अनुच्छेद 117
Financial Bill — Article 117
 - संविधान संशोधन विधेयक — अनुच्छेद 368
Constitution Amendment Bill — Article 368
- ध्यान दें : 'नागरिकता संशोधन विधेयक' कोई अलग श्रेणी नहीं, वह एक साधारण विधेयक था।

Note that a 'Citizenship Amendment Bill' is not a separate category; it was an ordinary Bill.



प्रस्तुतकर्ता के आधार पर दो प्रकार

Two types according to who introduces them

- सरकारी विधेयक — किसी मंत्री द्वारा लाया जाता है।
A Public Bill is introduced by a minister.
- इसके लिए 7 दिन की पूर्व सूचना देनी होती है।
Seven days' prior notice is required for it.
- निजी सदस्य विधेयक — गैर-मंत्री सांसद द्वारा लाया जाता है।
A Private Member's Bill is introduced by a Member of Parliament who is not a minister.
- इसके लिए एक माह की पूर्व सूचना देनी होती है।
One month's prior notice is required for it.
- निजी सदस्य विधेयकों पर चर्चा सामान्यतः शुक्रवार को होती है।
Private Members' Bills are normally discussed on Fridays.

दोनों सदनों की संयुक्त बैठक

अनुच्छेद 108

Joint sitting of both Houses

- 1 गतिरोध की स्थिति में राष्ट्रपति दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुला सकते हैं।
In case of a deadlock the President may summon a joint sitting of both Houses.
- 2 गतिरोध तब माना जाता है जब दूसरा सदन विधेयक अस्वीकार कर दे, संशोधनों पर असहमति हो, या छह माह बीत जाएँ।
A deadlock arises if the other House rejects the Bill, disagrees over amendments, or six months elapse.
- 3 संयुक्त बैठक की अध्यक्षता लोक सभा के अध्यक्ष करते हैं; उनकी अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष।
The Speaker of the Lok Sabha presides at a joint sitting, and in his absence the Deputy Speaker.
- 4 दोनों की अनुपस्थिति में राज्य सभा के उपसभापति अध्यक्षता करते हैं; सभापति कभी अध्यक्षता नहीं करते।
If both are absent the Deputy Chairman of the Rajya Sabha presides; the Chairman never does.
- 5 धन विधेयक और संविधान संशोधन विधेयक के लिए संयुक्त बैठक का प्रावधान लागू नहीं होता।
The provision for a joint sitting does not apply to a Money Bill or a Constitution Amendment Bill.

108 →
साधारण विधेयक
वित्तीय विधेयक
↓
गतिरोध (Cont.) →
(PR → JS)
> JS-बोले गये

संयुक्त बैठक के तीन अवसर

अब तक 3 बार

The three joint sittings held so far

1961

दहेज प्रतिषेध विधेयक

The Dowry Prohibition Bill

1978

बैंककारी सेवा आयोग (निरसन) विधेयक

The Banking Service Commission (Repeal) Bill

2002

आतंकवाद निवारण विधेयक (पोटा)

The Prevention of Terrorism Bill (POTA)

अध्यक्ष

तीनों बैठकों की अध्यक्षता लोक सभा अध्यक्ष ने की

All three were presided over by the Speaker

साधारण

पारित होने के लिए साधारण बहुमत पर्याप्त

A simple majority suffices for passing

नियम

बैठक लोक सभा के प्रक्रिया-नियमों से चलती है

The sitting follows the Lok Sabha's rules of procedure

धन विधेयक के लिए विशेष प्रक्रिया

अनुच्छेद 109

Special procedure for Money Bills

- 1 धन विधेयक केवल लोक सभा में और राष्ट्रपति की पूर्व सिफारिश से ही पुरःस्थापित किया जा सकता है।
A Money Bill can be introduced only in the Lok Sabha and only on the President's prior recommendation.
- 2 लोक सभा से पारित होने के बाद इसे सिफारिशों के लिए राज्य सभा को भेजा जाता है।
After being passed by the Lok Sabha it is transmitted to the Rajya Sabha for its recommendations.
- 3 राज्य सभा को 14 दिनों के भीतर विधेयक लौटाना होता है; वह इसे न तो अस्वीकार कर सकती है, न संशोधित।
The Rajya Sabha must return it within fourteen days; it can neither reject nor amend it.
- 4 लोक सभा राज्य सभा की सिफारिशें स्वीकार या अस्वीकार करने के लिए स्वतंत्र है।
The Lok Sabha is free to accept or reject the recommendations of the Rajya Sabha.
- 5 यदि राज्य सभा 14 दिन में न लौटाए, तो विधेयक दोनों सदनों द्वारा पारित मान लिया जाता है।
If the Rajya Sabha does not return it within fourteen days, the Bill is deemed passed by both Houses.

Definition of a Money Bill

- 1 किसी कर का अधिरोपण, उत्सादन, परिहार, परिवर्तन या विनियमन।
The imposition, abolition, remission, alteration or regulation of any tax.
- 2 भारत सरकार द्वारा उधार लेने या किसी वित्तीय दायित्व का विनियमन।
The regulation of borrowing by the Government of India or of any financial obligation.
- 3 भारत की संचित निधि या आकस्मिकता निधि में धन रखना या उससे धन निकालना।
The custody of, or payment into or withdrawal from, the Consolidated Fund or the Contingency Fund.
- 4 संचित निधि से धन का विनियोग तथा उस पर भारित किसी व्यय की घोषणा।
The appropriation of moneys out of the Consolidated Fund and the declaring of any expenditure charged on it.
- 5 संचित निधि या लोक लेखा में धन प्राप्त करना, उसकी अभिरक्षा या संघ-राज्य लेखाओं की लेखापरीक्षा।
The receipt or custody of money in the Consolidated Fund or Public Account, and the audit of Union or State accounts.

धन विधेयक क्या नहीं है

अनुच्छेद 110

What is not a Money Bill

- 1 केवल जुर्माना या अन्य आर्थिक शास्ति लगाने वाला विधेयक धन विधेयक नहीं होता।
A Bill that merely imposes fines or other pecuniary penalties is not a Money Bill.
- 2 अनुज्ञप्ति या सेवाओं के बदले फीस लगाने वाला विधेयक भी धन विधेयक नहीं होता।
Nor is a Bill that levies fees for licences or for services rendered.
- 3 स्थानीय प्रयोजनों के लिए स्थानीय प्राधिकारी द्वारा कर लगाने या हटाने वाला विधेयक भी नहीं।
Nor is a Bill imposing or abolishing a tax by a local authority for local purposes.
- 4 कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका प्रमाणन लोक सभा अध्यक्ष करते हैं और वह अंतिम होता है।
The Speaker of the Lok Sabha certifies whether a Bill is a Money Bill, and that certificate is final.
- 5 के. एस. पुट्टास्वामी मामले (2018) में यह माना गया कि यह प्रमाणन सीमित न्यायिक समीक्षा के अधीन है।
In K. S. Puttaswamy (2018) it was held that this certification is subject to limited judicial review.

विधेयक पर राष्ट्रपति की अनुमति

अनुच्छेद 111

Assent of the President to Bills

- 1 दोनों सदनों से पारित विधेयक राष्ट्रपति के समक्ष अनुमति के लिए प्रस्तुत किया जाता है।
A Bill passed by both Houses is presented to the President for his assent.
- 2 राष्ट्रपति अनुमति दे सकते हैं, जिससे विधेयक अधिनियम बन जाता है।
The President may give his assent, whereupon the Bill becomes an Act.
- 3 वे अनुमति रोक सकते हैं, या विधेयक को पुनर्विचार के लिए सदनों को लौटा सकते हैं।
He may withhold assent, or return the Bill to the Houses for reconsideration.
- 4 यदि सदन विधेयक को संशोधन सहित या बिना संशोधन दोबारा पारित कर दें, तो राष्ट्रपति को अनुमति देनी ही होगी।
If the Houses pass it again, with or without amendment, the President must give his assent.
- 5 धन विधेयक को राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए नहीं लौटा सकते।
The President cannot return a Money Bill for reconsideration.

राष्ट्रपति की वीटो शक्तियाँ

वीटो

Veto powers of the President

- पूर्ण वीटो — राष्ट्रपति विधेयक को अनुमति देने से पूरी तरह इनकार कर देते हैं।

Absolute veto — the President withholds assent to the Bill altogether.
- इसका प्रयोग 1954 में डॉ. राजेंद्र प्रसाद ने पेप्सू विनियोग विधेयक पर किया था।

It was used by Dr Rajendra Prasad in 1954 on the PEPSU Appropriation Bill.
- 1991 में आर. वेंकटरमण ने सांसदों के वेतन संबंधी विधेयक पर इसका प्रयोग किया।

In 1991 R. Venkataraman used it on the Bill relating to salaries of Members of Parliament.
- निलंबित वीटो — विधेयक को पुनर्विचार हेतु लौटाना; धन विधेयक पर यह उपलब्ध नहीं।

Suspensive veto — returning a Bill for reconsideration; it is not available on a Money Bill.
- पॉकेट वीटो — विधेयक पर कोई कार्रवाई ही न करना; इसका प्रयोग ज्ञानी जैल सिंह ने भारतीय डाकघर (संशोधन) विधेयक 1986 पर किया।

Pocket veto — taking no action at all; Giani Zail Singh used it on the Indian Post Office (Amendment) Bill 1986.

Fi ⇒ 1 April — 31 M
Bu ⇒

28 Feb ⇒ — — — 30 Apr
1 Apr — 30 Apr —
वर्ष
लेखागु (Acct)
2017 ⇒ 1 जुलाई ✓

109 ⇒ धन विधेयक (MB) —
प्रक्रिया
110 ⇒ धन विधेयक (MB) = परिभाषा

111 = Bill = राष्ट्रपति

112 ⇒ वार्षिक वित्तीय विवरण (AFS)

↓
"कमल"

113 = अनुदान की मांग (Vote on grants).

114 = विनियोग (App Bill) ✓

116 = लेखागु (Vote on Acct)

09

बजट एवं वित्तीय प्रक्रिया

Budget and financial procedure

अनुच्छेद 112 – 117, 266 – 267

वार्षिक वित्तीय विवरण (बजट)

अनुच्छेद 112

The Annual Financial Statement

- 1 राष्ट्रपति प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए अनुमानित प्राप्तियों और व्यय का विवरण दोनों सदनों के समक्ष रखवाते हैं।

The President causes a statement of estimated receipts and expenditure to be laid before both Houses each year.

- 2 संविधान में 'बजट' शब्द का कहीं उल्लेख नहीं है; वहाँ 'वार्षिक वित्तीय विवरण' शब्द प्रयुक्त है।

The word 'budget' occurs nowhere in the Constitution; the expression used is 'Annual Financial Statement'.

- 3 एकवर्थ समिति (1921) की सिफारिश पर 1924 से रेल बजट को आम बजट से अलग किया गया।

On the recommendation of the Acworth Committee (1921), the Railway Budget was separated from 1924.

- 4 वर्ष 2017 में यह 92 वर्ष पुरानी परंपरा समाप्त कर दी गई और रेल बजट को आम बजट में मिला दिया गया।

In 2017 this ninety-two-year-old practice ended and the Railway Budget was merged with the Union Budget.

- 5 तत्कालीन वित्त मंत्री अरुण जेटली ने पहला संयुक्त केंद्रीय बजट प्रस्तुत किया था।

The then Finance Minister Arun Jaitley presented the first combined Union Budget.

Rail Budget
+ General Budget

1921 ⇒ एकवर्थ समिति
1924 ⇒ Rail - General
2017 ⇒ वित्त दे बरोस
2017 ⇒ Rail + Gen

भारित व्यय बनाम मतदेय व्यय

अनुच्छेद 113

Charged expenditure versus votable expenditure

संचित निधि पर भारित व्यय

Expenditure charged on the Consolidated Fund

- इस पर संसद में मतदान नहीं होता, केवल चर्चा हो सकती है।
It is not submitted to the vote of Parliament, though it may be discussed.
- राष्ट्रपति के वेतन, भत्ते और उनके कार्यालय का व्यय।
The emoluments and allowances of the President and the expenses of his office.
- उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों तथा नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के वेतन एवं पेंशन।
Salaries and pensions of Supreme Court judges and of the Comptroller and Auditor-General.
- सभापति, उपसभापति, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के वेतन तथा ऋणभार संबंधी व्यय।
Salaries of the presiding officers and expenditure relating to debt charges.

संचित निधि से किया जाने वाला व्यय

Expenditure made from the Consolidated Fund

- यह अनुदान की माँगों के रूप में लोक सभा के समक्ष रखा जाता है।
It is placed before the Lok Sabha in the form of demands for grants.
- अनुदान माँगों पर मतदान का अधिकार केवल लोक सभा को है।
Only the Lok Sabha has the power to vote on demands for grants.
- राज्य सभा इन पर केवल चर्चा कर सकती है।
The Rajya Sabha may only discuss them.
- अनुदान की माँगें राष्ट्रपति की सिफारिश से ही प्रस्तुत की जाती हैं।
Demands for grants are presented only on the recommendation of the President.

CFI
भारत की संविधान विधि

भारत सरकार का खजाना
CFI

WE = 112 ✓

Vote x = 113 ✓

सदन में चर्चा ✓
मतदान xx

हा - संसद की अनुमति

सामान्य समय (4/0 Ex)
भारतिय समय (Wei Ex.)

= LS < S
DS

= RJ < S
DS

= SC - J -
= MC - J - पेशा
= AG.

हमारा/नाम

ECI
UPSC
PR
=

संविधान में निधियों के प्रकार

Types of funds under the Constitution

अनु. 266 एवं 267

266(1)
266(2) ← P.A.
लोक लेखा

₹ 30 हजार करोड़

- 1 भारत की संचित निधि — अनुच्छेद 266(1); सरकार की सभी प्राप्तियाँ, लिए गए ऋण और ऋणों की वसूली इसमें जाती है।

The Consolidated Fund of India — Article 266(1) — holds all receipts, loans raised and loan recoveries.

- 2 इससे विनियोग अधिनियम के बिना एक रुपया भी नहीं निकाला जा सकता।

Not a rupee can be withdrawn from it without an Appropriation Act.

- 3 भारत का लोक लेखा — अनुच्छेद 266(2); भविष्य निधि, लघु बचत, जमा आदि इसमें रखे जाते हैं।

The Public Account of India — Article 266(2) — holds provident funds, small savings and deposits.

- 4 लोक लेखा से निकासी के लिए संसदीय मंजूरी आवश्यक नहीं; सरकार यहाँ केवल संरक्षक की भूमिका में है।

Withdrawals from the Public Account need no parliamentary sanction; the government acts merely as a banker.

- 5 भारत की आकस्मिकता निधि — अनुच्छेद 267; राष्ट्रपति के अधीन अप्रत्याशित व्यय हेतु, कोष ₹30,000 करोड़।

The Contingency Fund of India — Article 267 — is at the President's disposal for unforeseen expenditure, with a corpus of ₹30,000 crore.

विनियोग विधेयक एवं कटौती प्रस्ताव

अनु. 114

The Appropriation Bill and cut motions

- 1 विनियोग विधेयक सरकार को भारत की संचित निधि से धन निकालने के लिए अधिकृत करता है।
The Appropriation Bill authorises the government to withdraw money from the Consolidated Fund of India.
- 2 इस विधेयक में अनुदान की राशि बदलने वाला कोई संशोधन प्रस्तावित नहीं किया जा सकता।
No amendment altering the amount of a grant may be proposed to this Bill.
- 3 नीतिगत कटौती — नीति की अस्वीकृति व्यक्त करने के लिए राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाती है।
Policy cut — the amount is reduced to one rupee to express disapproval of a policy.
- 4 मितव्ययिता कटौती — बचत के उद्देश्य से किसी निर्दिष्ट राशि की कटौती की जाती है।
Economy cut — a specified amount is cut with a view to effecting economy.
- 5 सांकेतिक कटौती — किसी विशिष्ट शिकायत को दर्ज कराने के लिए राशि में 100 रुपये की कटौती।
Token cut — the amount is reduced by one hundred rupees to ventilate a specific grievance.

अनुदानों के विविध प्रकार

अनु. 115 एवं 116

Other kinds of grants

- 1 अनुपूरक अनुदान — जब स्वीकृत राशि उस वर्ष की आवश्यकता के लिए अपर्याप्त पाई जाती है।
Supplementary grant — when the amount authorised proves insufficient for the needs of that year.
- 2 अतिरिक्त अनुदान — जब बजट में शामिल न रही किसी नई सेवा पर व्यय की आवश्यकता पड़ती है।
Additional grant — when a need arises for expenditure on a new service not contemplated in the budget.
- 3 अधिक अनुदान — जब किसी सेवा पर स्वीकृत राशि से अधिक धन खर्च हो चुका हो; इसे लोक लेखा समिति देखती है।
Excess grant — when more money has been spent on a service than was granted; it is examined by the Public Accounts Committee.
- 4 लेखानुदान — पूरा बजट पारित होने तक सरकार के अल्पकालिक व्यय के लिए अग्रिम अनुदान।
Vote on account — an advance grant for short-term expenditure until the full budget is passed.
- 5 प्रत्ययानुदान तथा अपवादानुदान — क्रमशः अप्रत्याशित बड़ी आवश्यकता और किसी विशेष प्रयोजन के लिए।
Vote of credit and exceptional grant — for an unexpected large demand and for a special purpose respectively.

बजट के अधिनियमन के छह चरण

बजट प्रक्रिया

The six stages of enacting the budget

- 1 पहला चरण — बजट का सदन में प्रस्तुतीकरण।
First, the presentation of the budget to the House.
- 2 दूसरा चरण — बजट पर सामान्य चर्चा।
Second, the general discussion on the budget.
- 3 तीसरा चरण — विभागीय स्थायी समितियों द्वारा विस्तृत जाँच।
Third, scrutiny in detail by the departmentally related standing committees.
- 4 चौथा चरण — अनुदान की माँगों पर मतदान, जो केवल लोक सभा में होता है।
Fourth, voting on demands for grants, which takes place only in the Lok Sabha.
- 5 पाँचवाँ और छठा चरण — विनियोग विधेयक तथा वित्त विधेयक का पारित होना।
Fifth and sixth, the passing of the Appropriation Bill and of the Finance Bill.

- 1 सभी धन विधेयक वित्तीय विधेयक होते हैं, किंतु सभी वित्तीय विधेयक धन विधेयक नहीं होते।
All Money Bills are Financial Bills, but not all Financial Bills are Money Bills.
- 2 वित्तीय विधेयक प्रथम श्रेणी — अनुच्छेद 117(1); इसमें अनुच्छेद 110 की मदों के साथ अन्य विषय भी होते हैं।
Financial Bill of the first category — Article 117(1) — contains matters of Article 110 along with other subjects.
- 3 यह केवल लोक सभा में और राष्ट्रपति की पूर्व सिफारिश से ही पुरःस्थापित हो सकता है।
It can be introduced only in the Lok Sabha and only on the President's prior recommendation.
- 4 वित्तीय विधेयक द्वितीय श्रेणी — अनुच्छेद 117(3); इसमें संचित निधि से व्यय का प्रावधान होता है।
Financial Bill of the second category — Article 117(3) — involves expenditure from the Consolidated Fund.
- 5 यह किसी भी सदन में पुरःस्थापित हो सकता है, पर विचार के लिए राष्ट्रपति की सिफारिश आवश्यक है।
It may be introduced in either House, but the President's recommendation is needed for its consideration.

10

प्रक्रिया, भाषा एवं अध्यादेश

Procedure, language and ordinances

अनुच्छेद 118 – 123

प्रक्रिया के नियम एवं संसद की भाषा

अनु. 118 – 120

Rules of procedure and the language of Parliament

1 अनुच्छेद 118 — प्रत्येक सदन अपनी प्रक्रिया और कार्य संचालन के लिए स्वयं नियम बना सकता है।

Article 118 — each House may make rules for regulating its procedure and conduct of business.

2 अनुच्छेद 119 — संसद वित्तीय कार्य से संबंधित प्रक्रिया को विधि द्वारा विनियमित कर सकती है।

Article 119 — Parliament may by law regulate the procedure relating to financial business.

3 अनुच्छेद 120 — संसद का कार्य हिंदी या अंग्रेज़ी में किया जाएगा।

Article 120 — business in Parliament shall be transacted in Hindi or in English.

4 मूल प्रावधान के अनुसार 15 वर्ष बाद अंग्रेज़ी का प्रयोग समाप्त होना था, पर राजभाषा अधिनियम 1963 ने उसे जारी रखा।

The original provision was to end English after fifteen years, but the Official Languages Act 1963 continued it.

5 पीठासीन अधिकारी किसी सदस्य को अपनी मातृभाषा में बोलने की अनुमति दे सकते हैं।

The presiding officer may permit a member to address the House in his mother tongue.

चर्चा पर प्रतिबंध एवं न्यायालयों का अधिकार-क्षेत्र

अनु. 121 एवं 122

Restriction on discussion and jurisdiction of courts

- 1 अनुच्छेद 121 — उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश के आचरण पर संसद में चर्चा नहीं होगी।
Article 121 — no discussion shall take place in Parliament on the conduct of a judge of the Supreme Court or a High Court.
- 2 इसका एकमात्र अपवाद न्यायाधीश को हटाने के प्रस्ताव पर होने वाली चर्चा है।
The only exception is a debate on a motion for the removal of such a judge.
- 3 अनुच्छेद 122 — प्रक्रिया की किसी कथित अनियमितता के आधार पर न्यायालय संसद की कार्यवाही की जाँच नहीं करेंगे।
Article 122 — courts shall not inquire into parliamentary proceedings on the ground of any alleged irregularity of procedure.
- 4 किसी अधिकारी या सदस्य को कार्यवाही के नियमन संबंधी शक्तियों के प्रयोग पर न्यायालय के अधीन नहीं किया जा सकता।
No officer or member is subject to a court's jurisdiction for exercising powers to regulate procedure.
- 5 किंतु प्रक्रिया की 'अनियमितता' और संवैधानिक प्रावधान की 'अवैधता' में अंतर है; अवैधता की समीक्षा हो सकती है।
But irregularity of procedure differs from illegality; unconstitutionality remains open to judicial review.

अध्यादेश जारी करने की राष्ट्रपति की शक्ति

अनुच्छेद 123

Power of the President to promulgate ordinances

- 1 राष्ट्रपति तब अध्यादेश जारी कर सकते हैं जब संसद का कोई एक सदन भी सत्र में न हो।
The President may promulgate an ordinance when even one House of Parliament is not in session.
- 2 अध्यादेश का प्रभाव संसद के अधिनियम के समान होता है, पर उसकी विधायी क्षमता की सीमाएँ भी वही हैं।
An ordinance has the same force as an Act of Parliament and is subject to the same legislative limits.
- 3 इसे दोनों सदनों के पुनः समवेत होने के 6 सप्ताह के भीतर अनुमोदित कराना आवश्यक है।
It must be approved within six weeks of the reassembly of both Houses.
- 4 इस प्रकार अध्यादेश का अधिकतम जीवनकाल **छह माह और छह सप्ताह** होता है; राष्ट्रपति इसे कभी भी वापस ले सकते हैं।
Its maximum life is therefore six months and six weeks; the President may withdraw it at any time.
- 5 अनुच्छेद 123 केंद्र के लिए और अनुच्छेद 213 राज्यपाल के लिए यही शक्ति देता है।
Article 123 provides this power at the Centre and Article 213 gives it to the Governor in a State.

अध्यादेश : महत्वपूर्ण न्यायिक निर्णय

वाद

Ordinances : important judicial decisions

- 1 आर. सी. कूपर बनाम भारत संघ (1970) — राष्ट्रपति की संतुष्टि को दुर्भावना के आधार पर चुनौती दी जा सकती है।
R. C. Cooper v. Union of India (1970) — the President's satisfaction can be challenged on the ground of mala fides.
- 2 डी. सी. वाधवा बनाम बिहार राज्य (1986) — अध्यादेशों का बार-बार पुनःप्रख्यापन असंवैधानिक है।
D. C. Wadhwa v. State of Bihar (1986) — repeated re-promulgation of ordinances is unconstitutional.
- 3 बिहार में 1967 से 1981 के बीच 256 अध्यादेश केवल पुनःप्रख्यापित करके वर्षों तक जीवित रखे गए थे।
In Bihar, between 1967 and 1981, some 256 ordinances were kept alive for years merely by re-promulgation.
- 4 कृष्ण कुमार सिंह बनाम बिहार राज्य (2017) — पुनःप्रख्यापन संविधान के साथ धोखा है।
Krishna Kumar Singh v. State of Bihar (2017) — re-promulgation is a fraud on the Constitution.
- 5 इसी निर्णय में कहा गया कि अध्यादेश को सदन के समक्ष रखना अनिवार्य है, विकल्प नहीं।
The same judgment held that laying an ordinance before the House is mandatory, not optional.

राज्य सभा की विशेष शक्तियाँ

Special powers of the Rajya Sabha

312
AIS
New AIS 1,
RS

249 = RS = 2/3 बहुमत
= प्रस्ताव = RS 7 संसद

अनु. 249 एवं 312

74
→ संघ (U) - संसद
→ राज्य (S) - राज्य वि.
→ सम (Comp) - राज्य

1

अनुच्छेद 249 — राज्य सभा संसद को राज्य सूची के किसी विषय पर कानून बनाने के लिए अधिकृत कर सकती है।

Article 249 — the Rajya Sabha may authorise Parliament to legislate on a State List subject.

2

ऐसा संकल्प राष्ट्रीय हित में तथा उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के दो-तिहाई बहुमत से पारित होना चाहिए।

Such a resolution must be in the national interest and passed by two-thirds of the members present and voting.

3

यह संकल्प एक बार में एक वर्ष के लिए प्रभावी रहता है।

The resolution remains in force for one year at a time.

4

अनुच्छेद 312 — राज्य सभा नई अखिल भारतीय सेवा के सृजन के लिए संसद को अधिकृत कर सकती है।

Article 312 — the Rajya Sabha may authorise Parliament to create a new All-India Service.

5

वर्तमान में तीन अखिल भारतीय सेवाएँ हैं — भा.प्र.से., भा.पु.से. और भा.व.से।

At present there are three All-India Services — the IAS, the IPS and the Indian Forest Service.

11

संसदीय समितियाँ

Parliamentary committees

वर्गीकरण, वित्तीय समितियाँ एवं स्थायी समितियाँ

1) 24 DRC

संसद की सहायता

संसदीय समितियाँ

स्थायी (Standing)



1) प्राम्बल (EC)

= सदस्य की = 31

= 2:1

2) PAC

3) CoPU.

तदर्थ (Ad hoc)

प्रवर (Select Com)

JSC

संसदीय समितियाँ : वर्गीकरण

परिचय

Parliamentary committees : classification

- 1 संविधान में समितियों का उल्लेख अलग-अलग स्थानों पर है, पर उनके गठन और कार्यकाल का विस्तृत प्रावधान नहीं है।
The Constitution refers to committees at different places but does not detail their composition or tenure.
- 2 ये सभी विषय दोनों सदनों के प्रक्रिया-नियमों के अनुसार तय होते हैं।
All these matters are settled under the rules of procedure of the two Houses.
- 3 समितियाँ अध्यक्ष या सभापति द्वारा नियुक्त की जाती हैं और उन्हीं के निर्देशों पर कार्य करती हैं।
Committees are appointed by the Speaker or the Chairman and work under their direction.
- 4 स्थायी समितियाँ — निरंतर अस्तित्व वाली, प्रायः वार्षिक रूप से पुनर्गठित होती हैं।
Standing committees are permanent in nature and are usually reconstituted every year.
- 5 तदर्थ समितियाँ — किसी विशेष प्रयोजन के लिए बनती हैं और कार्य पूरा होते ही समाप्त हो जाती हैं।
Ad hoc committees are created for a specific purpose and cease to exist once their task is done.

लोक लेखा समिति

The Public Accounts Committee

वित्तीय समिति

1967

- 1 इसकी स्थापना 1921 में भारत शासन अधिनियम 1919 के प्रावधानों के अंतर्गत हुई थी।
It was set up in 1921 under the provisions of the Government of India Act 1919.
- 2 वर्तमान में इसके कुल 22 सदस्य होते हैं — लोक सभा से 15 और राज्य सभा से 7।
It now has twenty-two members — fifteen from the Lok Sabha and seven from the Rajya Sabha.
- 3 इसका मुख्य कार्य नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की लेखापरीक्षा रिपोर्टों की जाँच करना है।
Its main function is to examine the audit reports of the Comptroller and Auditor-General.
- 4 नियंत्रक-महालेखापरीक्षक को इस समिति का 'मित्र, दार्शनिक और मार्गदर्शक' कहा जाता है।
The Comptroller and Auditor-General is called the friend, philosopher and guide of this committee.
- 5 1967 से परंपरा है कि इसका अध्यक्ष विपक्ष से चुना जाता है; उसे अध्यक्ष नियुक्त करते हैं।
Since 1967 its chairman is by convention chosen from the Opposition and is appointed by the Speaker.

1 साल
चुनाव
PR-STV
अध्यक्ष
निम्नलि
लोकसभा अध्यक्ष

प्राक्कलन समिति एवं सार्वजनिक उपक्रम समिति

वित्तीय समिति

Estimates Committee and Committee on Public Undertakings

- 1 प्राक्कलन समिति की स्थापना 1921 में स्थायी वित्त समिति के रूप में हुई थी।
The Estimates Committee originated in 1921 as the Standing Finance Committee.
- 2 स्वतंत्रता के बाद 1950 में जॉन मथाई समिति की सिफारिश पर इसका पुनर्गठन हुआ।
After independence it was reconstituted in 1950 on the recommendation of the John Mathai Committee.
- 3 इसके सभी 30 सदस्य केवल लोक सभा से होते हैं; 1956 में यह संख्या 25 से बढ़ाकर 30 की गई।
All its thirty members are drawn from the Lok Sabha alone; the number was raised from twenty-five in 1956.
- 4 सार्वजनिक उपक्रम समिति की स्थापना 1964 में कृष्ण मेनन समिति की सिफारिश पर हुई।
The Committee on Public Undertakings was set up in 1964 on the recommendation of the Krishna Menon Committee.
- 5 इसके 22 सदस्य हैं — लोक सभा से 15 और राज्य सभा से 7, 1974 में संख्या 15 से बढ़ाकर 22 की गई।
It has twenty-two members — fifteen from the Lok Sabha and seven from the Rajya Sabha, raised from fifteen in 1974.

विभागीय स्थायी समितियाँ एवं आचार समिति

स्थायी समिति

Departmentally related standing committees and the Ethics Committee

- 1 विभागीय स्थायी समितियाँ 1993 में आरंभ हुई; तब इनकी संख्या 17 थी।

The departmentally related standing committees were introduced in 1993, when there were seventeen of them.
- 2 2004 से इनकी संख्या 24 है — 16 लोक सभा के अधीन और 8 राज्य सभा के अधीन।

Since 2004 their number has been twenty-four — sixteen under the Lok Sabha and eight under the Rajya Sabha.
- 3 प्रत्येक समिति में 31 सदस्य होते हैं — लोक सभा से 21 और राज्य सभा से 10।

Each committee has thirty-one members — twenty-one from the Lok Sabha and ten from the Rajya Sabha.
- 4 पहले प्रत्येक समिति में 45 सदस्य होते थे; 2004 के पुनर्गठन में यह संख्या घटाकर 31 की गई।

Earlier each had forty-five members; the number was reduced to thirty-one in the 2004 restructuring.
- 5 आचार समिति — राज्य सभा में 1997 में और लोक सभा में 2000 में गठित; यह सदस्यों के आचरण की जाँच करती है।

The Ethics Committee was constituted in 1997 in the Rajya Sabha and in 2000 in the Lok Sabha to examine members' conduct.

अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष की समिति-भूमिका

पदेन

Committee roles of the Speaker and the Deputy Speaker

- 1 लोक सभा अध्यक्ष तीन समितियों के पदेन सभापति होते हैं।

The Speaker of the Lok Sabha is ex-officio chairman of three committees.

- 2 ये हैं — कार्य मंत्रणा समिति, नियम समिति और सामान्य प्रयोजन समिति।

These are the Business Advisory Committee, the Rules Committee and the General Purposes Committee.

- 3 उपाध्यक्ष को यह विशेषाधिकार प्राप्त है कि वे जिस समिति के सदस्य बनते हैं, उसके स्वतः सभापति बन जाते हैं।

The Deputy Speaker enjoys the privilege of automatically becoming chairman of any committee he is appointed to.

- 4 उदाहरण के लिए निजी सदस्यों के विधेयकों और संकल्पों संबंधी समिति।

An example is the Committee on Private Members' Bills and Resolutions.

- 5 यह विशेषाधिकार ही दर्शाता है कि उपाध्यक्ष अध्यक्ष के अधीनस्थ नहीं होते।

This very privilege shows that the Deputy Speaker is not subordinate to the Speaker.

धन्यवाद

Thank you

अगला विषय : संसदीय समितियाँ एवं संसदीय मंच — विस्तार से

Next topic : Parliamentary committees and forums, in detail